

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(85)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 11 DEC 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रु 5400/-) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० प्रेम चन्द मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना, ग्राम-रामसिंह पुरा तह० बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर (राज.)	09	20.04.1974	अजजा.	मेडिकल कॉलेज जयपुर
2.	डॉ० विकास सोरल पुत्र डॉ० लक्ष्मण सिंह सोरल, ए-20, मधुकर कॉलोनी, कोटपूतली, जयपुर (राज.) -303108	10	26.07.1982	अजा. (EX)	मेडिकल कॉलेज कोटा
3.	डॉ० रामबाबू सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी ग्राम-पोस्ट- सेवा, वाया-दूदू तह० मोजमाबाद, जिला-जयपुर(राज.) 303008	13	31.05.1986	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज उदयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति निम्न शर्त के अधधीन होगी:-

“ These appointments are subject to the decisions of Civil appeal No. 1467-66/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court.”

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर SBCWP No. 8120/2017 डॉ० अमित श्रीवास्तव बनाम राज्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) व अन्य में प्रदत्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश – " In the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is made, the same shall be subject to the ultimate decision and/or any other order passed in the present writ petition.."- के अधधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।


उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

आदेश से


(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती / गोपनीय / 2014-15 / 280 दिनांक 23.08.2017 व प. 7(33)भर्ती 'ख' / 2014-15 / 482 दिनांक 01.11.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(85)एम.ई./गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक :

आदेश

01 DEC 2017

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थी को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100(ग्रेड-पे रु 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुपये 22,180/प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० किरण चौकड़ायत पत्नी श्री मनोज बंसीवाल, 147 पदमावती कॉलोनी-बी, किंग्स रोड, जयपुर (राज.)-302019	14	30.06.1984	अजा. महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति निम्न शर्त के अधधीन होगी:-


“ These appointments are subject to the decision of Civil appeal No. 1467-66/2017 pending before the Hon’ble Supreme Court.”

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, में दायर SBCWP No. 8120/2017 डॉ० अमित श्रीवास्तव बनाम राज्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) व अन्य में प्रदत्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश –" In the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is made, the same shall be subject to the ultimate decision and/or any other order passed in the present writ petition.."– के अधधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

आदेश से


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती/ गोपनीय/2014-15/280 दिनांक 23.08.2017 व प. 7(33)भर्ती 'ख'/2014-15/482 दिनांक 01.11.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव